

फार्म सं... 137
(नियम 276 देखें)

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदौर के समक्ष
मूल-क्षेत्राधिकार
कंपनी अधिनियम, 1956 के संबंध में
एवं
मेसर्स धार सीमेंट लिमि. (परिसमापन में)
कंपनी पिटीशन नं. 17/2002

लाभांश के वितरण की घोषणा का विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी के भूतपूर्व श्रमिकों के लिये उनके स्वीकृत सुरक्षित दावों के बतौर प्रथम लाभांश की राशि जोकि उनके स्वीकृत सुरक्षित दावों का लगभग 100 प्रतिशत है, का भुगतान किया जाना घोषित किया जाता है, जोकि दिनांक 30/12/2019 से दिनांक 30/06/2020 तक के कार्य दिवसों में कार्यालय शासकीय समापक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, प्रथम तक, ओल्ड सी.आई.ए. भवन, जी.पी.ओ. के सामने, रेसीडेंसी एरिया, इंदौर में पात्र श्रमिकों द्वारा उनके बैंक खाते का वितरण के वाय.सी. संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने पर, लाभांश की राशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जायेगा।

दिनांक : 26 नवम्बर, 2019

स्थान : इंदौर (म.प्र.)

हस्ते/-

(सीताराम एस. गुप्ता, आई.सी.एल.एस.)

शासकीय समापक

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश

जबलपुर, ग्वालियर एवं इंदौर।

DAILY BHASKAR - 27/11/19
(ALL M.P. Edition)

FORM NO.137

(see rule 276)

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF M.P.
BENCH AT INDORE.**

In the matter of The Companies Act, 1956

And

In the matter of M/s. Dhar Cement Ltd. (In-Liqn.)

Company Petition no.17/2002

Advertisement as to declaration of dividend

Notice is hereby given that a 1st dividend of 100 paise in a rupee for ex-workmen has been declared and that the same will be payable on the 30th day of December, 2019 and on subsequent working days up to the 30th day of June, 2020, at the office of The Official Liquidator, High Court of M.P., 1st Floor, OLD CIA Building, Opposite GPO, Residency Area, Indore on submission of banking account details and KYC details of the deserving ex-workmen, by directly crediting the amount in to the bank accounts of beneficiaries.

Dated: 26/11/2019

Place: Indore

Sd/-

**OFFICIAL LIQUIDATOR
HIGH COURT OF (M.P.),**

INDORE, GWALIOR & JABALPUR

THE ECONOMIC TIMES - 27/11/2019

[All India Edition]